कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं० ..60.. / 2017–18

श्री जयन्ती लाल बनीया,
पिता केशव लाल बनीया,
ग्राम– झु० ति०,
जिला–कोडरमा।

27/3/17 आवेदक श्री जयन्ती लाल बनीया, पिता केशव लाल बनीया, ग्राम–झु० ति०, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा नवादा, थाना नं० 249, खाता नं० 41, प्लॉट सं० 826 एवं 833 रकवा क्रमशः 0.01 ए० एवं 0.11½ ए० कुल रकवा 0.12½ ए० भूमि की जमाबन्दी जयन्ती लाल बनीया पिता केशवलाल बनीया के नाम से पंजी ।। के पेज नं० 104/2 दर्ज होकर सरकारी रसीद निर्गत होते आ रहा था। दाखिल खारिज वाद सं० 95/73–74 है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ...17/4/17... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

17/4/17
28/6/17 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नवादा, थाना नं० 249, खाता नं० 41, रकवा 0.52½ ए० भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं० 104/3 पर आवेदक जयन्ती लाल बनीया के नाम से दर्ज था। आवेदक द्वारा बताया गया कि केवाला में इनका 0.12½ ए० भूमि है, जबकि रसीद 0.52½ ए० भूमि का निर्गत है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के क्रम में श्री बनवारी महतो पिता स्व० दासो महतो, पंकज यादव, बिरेन्द्र वर्मा, अजय पंडित, नागेश्वर कोयरी वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 576853 दि० 18.03.1979, 853318 दि० 31.03.1978, 736939 दि० 25.11.1974, 796091 दि० 09.01.1972 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर जयन्ती लाल बनीया के नाम से दर्ज था। उक्त लगान रसीद काफी पुराना है, कार्यालय में पुराना भण्डार पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण मिलान करना संभव नहीं है।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा नवादा के खाता नं0 41, प्लॉट सं0 826 रकवा 0.01 ए0 एवं प्लॉट नं0 833 रकवा 0.11½ ए0, कुल रकवा 0.12½ ए0 भूमि की जांच आवेदक के वंशजों के उपस्थिति में किया गया, जिसपर इनके द्वारा अपना दखल कब्जा बताया गया। भूमि वर्तमान में परती है। आवेदक द्वारा दखल कब्जा से संबंधित केवाला की प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाया गया कि आवेदक जयन्ती लाल बनिया पिता केशव लाल बनिया के नाम से खाता नं0 41 में कुल 0.12½ ए0 भूमि खरीद किया गया है। जिसपर इनके द्वारा शांति पूर्वक दखल कब्जा बताया गया। दखल कब्जे से संबंधित लेख्य प्रमाणक, कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र भी संलग्न किया गया है। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा नवादा के खाता नं0 41, प्लॉट सं0 826 रकवा 0.01 ए0 एवं प्लॉट नं0 833 रकवा 0.11½ ए0, कुल रकवा 0.12½ ए0 पर आवेदक का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व को वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा नवादा के खाता नं0 41, प्लॉट सं0 826 रकवा 0.01 ए0 एवं प्लॉट नं0 833 रकवा 0.11½ ए0, कुल रकवा 0.12½ ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक श्री जयन्ती लाल बनीया, पिता केशव लाल बनीया के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

28/06/1?

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner